को अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अधिग्रहण अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने के परिणामस्वरूप अध्यादेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र केन्द्र सरकार के अधीन आ गए हैं। अधिगृहीत भूमि में स्थित राम कथा कुंज भवन, में कई पुरातत्वीय वस्तुएं थीं जो 6 दिसम्बर, 1992 को हुई घटनाओं के बाद राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर से प्राप्त हुई बताई गई। इन पुरातत्वीय वस्तुओं की सूची संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 114] अधिगृहीत की गई, शेष सम्पति सहित, ये वस्तुए केन्द्र सरकार के अधिकार में हैं।

अयोध्या के मामले के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन विशेष उल्लेख से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1993 को पारित एक आदेश के बाद इन पुरातत्वीय वस्तुओं का निरीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया है कि भंडारण की मौजूदा परिस्थितियों के अधीन इन अवशेषों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है तथा भंडारण संबंधी परिस्थितियां पर्याप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उपरोक्त कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची में "अंगिका" (भाषा) बोली को शामिल किया जाना

5701. श्री जनार्दन यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी बिहार के 16 जिलों में "अंगिका" भाषा बोली जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि "अंगिका" भाषा का अपना व्याकरण है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार "अंगिका" भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) पिछली दो जनगणनाओं के प्रकाशित आंकड़ों में, बिहार राज्य में संबद्ध भाषाओं के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों की मातृ-भाषा और भाषाओं में, "अंगिका" बोली का उल्लेख नहीं किया गया है। "अंगिका" को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Grant of citizenship to Pak Hindus

5702. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of HOME AFFAIRS bs pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pak Hindus who came to India from Sialkot in March, 1993 in the wake of the anti-Hindu backlash in Pakistan, are being forced to go back to Pakistan, as reported in the 'Times of India' of December 28, 1993;

(b) if so, what is their number and what are the facts in this regard;

(c) how many of them are willing to go back and how many are not willing to go back;

(d) whether Government have received any request from them for the grant of citizenship, if so, what are the details in this regard;

(e) whether Government propose to grant them citizenship , if not what are the reasons therefor?

(f) what is the number and details of Bangladeshi staying in India illegally as on 23-12-93; and

(g) since when they have been in India and what action Government have taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) No, Sir.

(b)and(c) Do not arise.

(d)and(e) These Pak nationals are not eligible for applying for grant of Indian Citizenship as they have not completed the statutory requirements as yet.

(f) and (g) It is difficult to estimate the number of Bangladeshis staying illegally in India as they enter into India surreptitiously and are able to mingle easily with local population because of ethnic and lingual similarities. There are standing instructions to the State Government and UT Administrations to detect and deport such Bangladeshi back to Bangladesh. Besides, various administrative measures including strengthening of BSF and its Water Wing, Prevention of Infiltration of Foreigners (PIF) and Mobile Task Force (MTF) Schemes, issues of Identity Cards to people residing in the border areas etc. have been/are being taken to detect and ceport them.

दिल्ली पुलिस को बेनामी पत्र

5703. श्री गोविन्दराव आदिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस को कुल कितने बेनामी पत्र मिले हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पत्रों से अकसर कुछ बड़ी घटनाओं के सुराग मिल जाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस के रवैये से घबराकर कई नागरिक इन बेनामी पत्रों के माध्यम से सुराग देते हैं ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पुलिस द्वारा इन पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना से उठाये गए लाभ का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या पुलिस विभाग ऐसे पत्रों का अध्ययन करने पर विचार कर रहा है ;

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि-पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991, 1992, 1993 तथा 1994 (31.3.94 तक) के दौरान निम्नलिखित गुमनाम शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

1991	1324
1992	1517
1993	1563
1994 (31.3.94 तक)	303

(ख) जी नहीं, श्रीमन्।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) से (छ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि-प्रत्येक शिकायत की जांच की जाती है।

Firing at the carcade of Union Internal Security Minister

5704. DR. ISHWAR CHANDRA GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether carcade of the Union Internal Security Minister was fired on 21st March, 1994 by militants in Kashmir valley;

(b) if so, whether culprits have been apprehended;